PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi
Friday 30th January 2015, Page: 15
Width: 20.87 cms, Height: 8.45 cms, a4r, Ref: pmin.2015-01-30.45.92

केंद्र सरकार की 102 जीवनरक्षक दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने की कोशिश नाकाम रही

दवाओं की कीमतें नियंत्रित करना मुश्किल

नई दिल्ली | मदन जैड़ा

केंद्र सरकार ने पिछले साल 348 दवाओं का मूल्य नियंत्रित करने का फैसला किया था। इसके तहत 246 दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया जा चुका है। लेकिन बाकी 102 जीवनरक्षक दवाओं को इसके दायरे में लाने की कोशिश नाकाम रही है।

इनमें एड्स, कैंसर, तपेदिक एवं संक्रामक बीमारियों की महत्वपूर्ण दवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) ने कहा है कि इन 102 दवाओं की बाजार में बिक्री नहीं के बराबर है। इसलिए इनकी कीमतें तय कर पाना कठिन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने 348 दवाओं को राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया था। कुछ दवाओं के एक से अधिक फार्मूले हैं जिसके चलते कुल दवाएं करीब छह बनती हैं।

मूल्य नियंत्रण के अधीन दवाओं की कीमतें एनपीपीए निर्धारित करता है। उसने इसके लिए फार्मूला यह तय किया कि एक दवा के उन सभी ब्रांडों की कीमतें ली जाएं जिनकी बाजार में हिस्सेदारी एक फीसदी से ज्यादा है। कीमतों का अध्ययन करने के बाद एक औसत मूल्य निकालकर निर्धारित किया जाता है। कंपनी को उसी तय मूल्य पर दवाएं बेचनी होती है।

बड़े पैमाने पर खरीदते हैं अस्पताल: अब तक 246 दवाओं के मूल्य तय हो चुके हैं लेकिन बाकी 102 दवाओं के दाम पता नहीं चल पा रहे हैं। दरअसल, दवा वितरकों की तरफ से जानकारी दी गई है कि वे इन दवाओं को बेचते ही नहीं।

ये दवाएं ऐसी हैं जिन्हें अस्पताल थोक में खरीदते हैं। इनमें एल्बुमिन, ग्लूकोज, फ्रेस फ्रोजन प्लाज्मा, कैल्शियम, डाइजेपाम, डेक्साट्रेन, फोलिक एसिड, सिलिंडामाइसिन, जिंक आक्साइड, जिडोवुडीन, यूरोकाइनस प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनमें जिडोवुडीन एचआईवी/एड्स की दवा है। एल्बुमिन संक्रमण रोकने की दवा है।

सात दिन में कीमत बताएं

एनपीपीए के सचिव अमित खरे ने बताया कि इन दवाओं की कीमतें बाजार से नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए अब एक अंतिम नोटिस इनके निर्माताओं के लिए निकाला गया है। उनसे अनुरोध किया गया है वे सात दिन के भीतर इन दवाओं की कीमतें बताएं।

इन दवाओं की कीमतें सरकार को बाजार में हिस्सेदारी की बजाय अलग तरीके से तय करनी चाहिए। ये जेनेरिक दवाएं हैं तथा जिन दरों पर जन औषधि भंडारों या सरकारी अस्पतालों में इनकी आपूर्ति हो रही है, वही दरें तय करनी चाहिए।

-डॉ. सी.एम. गुलाटी

Ricn